पत्र सं0- ब17/बी0एस0जी0-157/2013 - 576 /वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी
प्रधान सचिव

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 13/06/2023

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक-22.06.2023 तक भेजने के संबंध में।

महोदय,

बिहार विधान मंडल के आगामी सत्र में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक रखा जाना है ।

3. **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय** मद अंतर्गत प्रथम अनुपूरक में मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के विरुद्ध राशि एवं टोकन राशि का उपबंध किया जायेगा । साथ ही वेतन मद तथा न्यायादेश से आच्छादित मामलों के भुगतान हेतु प्रशासी विभाग द्वारा सकारण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा सकता है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

4. **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2023-24** अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृत राशि के विरुद्ध बजट प्राक्कलन 2023-24 में उपबंधित राशि के अतिरिक्त अंतर राशि के उपबंध हेतु योजना एवं विकास विभाग से उद्व्यय प्राप्ति की कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध करायी जाय ।

5. **केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम** के अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद् में प्रथम अनुपूरक द्वारा राशि उपबंध हेतु निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय :

(i) नई स्कीम में प्राप्त होने वाली राशि, जिसका बजट उपबंध मूल बजट में नहीं किया गया है अथवा कम उपबंध किया गया है, औचित्य के साथ प्रस्ताव दिया जा सकता है। इससे संबंधित उद्व्यय प्राप्ति की कार्रवाई प्रशासी विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा ।

6. **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम** के अन्तर्गत किसी परियोजना के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है किन्तु व्यय के लिए बजट प्रावधान नहीं किया गया है अथवा कम प्रावधान किया गया है, औचित्य के साथ प्रस्ताव भेजा जाए।

अनुरोध है कि प्रथम अनुपूरक आगणन में राशि सम्मिलित करने हेतु सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव **दिनांक-22.06.2023** तक विहित अनुसूची में पाँच हस्ताक्षरित प्रतियों के साथ संचिका के माध्यम से वित्त विभाग, बजट शाखा में **अपराह्न 5 बजे तक** उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

13/6/2023

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव